

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(कार्मिक अनुभाग-2),  
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या ~~1441~~ 1641 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0-2 / एम-1 / दिनांक: 22, अप्रैल, 2025

विषय:- स्थानान्तरण सत्र 2025 में विकल्प के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता, (स्तर-1/11) सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

समस्त अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

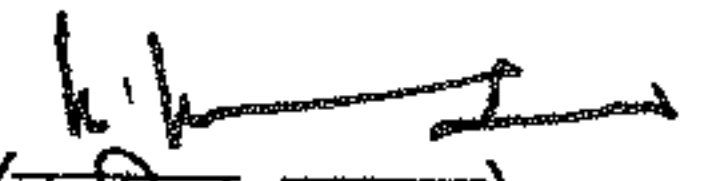
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (बजट) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड।

अधिशाली अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।

उपरोक्त विषयक सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के अन्तर्गत समूह "ग" के कार्मिकों की सुगम से दुर्गम एवं दुर्गम से सुगम हेतु अनिवार्य स्थानान्तरण की सूचियों वरिष्ठताक्रम में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की गयी है।

अतः विभागीय वेबसाइट पर अपलोड सूची के आधार पर अपना प्रत्यावेदन/प्रार्थना-पत्र निम्नानुसार तय समय सीमा में उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

1. स्थानान्तरण अधिनियम-2027 की धारा 23(4) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण के पात्र कार्मिकों द्वारा अधिकतम 10 ऐच्छिक स्थानों के विकल्प दिये जाने की तिथि 20.04.2025।
2. स्थानान्तरण अधिनियम-2027 की धारा 23(5) के अनुसार अनुरोध के आधार पर आवेदन किये जाने की तिथि 30.04.2025 बिन्दु संख्या-1 के कार्मिक भी शीघ्र विकल्प उपलब्ध कराये। सम्बन्धित कार्मिक अपना प्रत्यावेदन/अनुरोध पत्र साक्ष्यों सहित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सत्यापित किये जाने के पश्चात प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

  
(कपिल कुमार)  
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)  
कृते प्रमुख अभियन्ता